The Uttar Pradesh Gramya Swayat Shashan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 38 of 1978

Keyword(s):
Rural Health

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, सन् 1978]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1, खण्ड (क) में दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–3 खण्ड (क) देखिये ।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में :—

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायेंगे और दिनांक 15 जुलाई, 1978 से निकाले गये समझे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(2) जहां प्रमुख का पद रिक्त हो—

(क) वहां ज्येष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) और यदि ज्येष्ठ उप प्रमुख का पद भी रिक्त हो, वहां प्रमुख या ज्येष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक कनिष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा ;

(ग) और यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख दोनों के पद भी रिक्त हों, वहां जिला मजिस्ट्रेट, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।"

धारा 10 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(3) जहां क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, वहां उसका पुनर्गठन होने तक ऐसा व्यक्ति, जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे, क्षेत्र समिति, उसके प्रमुख और उसकी समितियों की समस्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगा और उसे समस्त प्रयोजनों के लिए ऐसी क्षेत्र समिति, प्रमुख या समिति समझा जायगा।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष की अवधि" के स्थान पर शब्द तथा अंक "9 अगस्त, 1979" रख दिये जायेंगे, और 1 अगस्त, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे।

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1978 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 435 सा० (विधा०)—31-3-79—(4199)—1979—1824+50SS (मेके०)।